संख्या-28/2017/933/38-4-17-14(विविध)/2016 टी0सी0-।

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-716/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017(08) दिनांक 16.06.2017 एवं संख्या-जी0ओ0-396/वि0का0/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017(08) दिनांक 04.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-7.3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार **Programme Management Unit (PMU)** के त्रिस्तरीय गठन हेतु अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन हेतु निम्न विवरण के अनुसार अस्थयी रूप से पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है:-

क-प्रदेश स्तर के पद-

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
1	तकनीकी विशेषज्ञ(आई0टी0)	बी0टेक (सी0एस0/आई0टी0)	02 वर्ष	01	28,000/-
2	तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल)	बी0टेक0 सिविल	भवन निर्माण का 02 वर्ष का अनुभव	01	28,000/-
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ओ0लेवल/सीसीसी (DOEACC)	02 वर्ष	02	15000/-
4	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-
5	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	04	10000/-
			कुल पद	**09**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ख-जिला स्तर के पद-

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
1	तकनीकी विशेषज्ञ(आई0टी0)	बी0टेक (सी0एस0/आई0टी0)	02 वर्ष	01	28,000/-
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ओ0लेवल/सीसीसी (DOEACC)	02 वर्ष	01	15000/-
3	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-
4	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	01	10000/-
			कुल पद	**04**	

ग-विकास खण्ड स्तर पर *

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह (रू0 में)
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ओ0लेवल/सीसीसी (DOEACC)	02 वर्ष	01	15000/-
3	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-
4	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	01	10000/-
			कुल पद	**03**	

***** विकास खण्ड स्तर पर अस्थायी पदों को निम्नवत् भरा जायेगाः-

1- 0-10 तक के विकास खण्ड वाले जनपदों में - 21 पद

2- 10 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में - 33 पद

(इस प्रकार पीएमएवाई-जी हेतु पी0एम0यू0 गठन हेतु एक जनपद में विकास खण्डों हेतु न्यूनतम 03 पद व अधिकतम 33 पदों को भरा जायेगा।)

शर्तों/प्रतिबन्ध :-

(1)प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन हेतु सृजित किये जा रहे पद पूर्णतयः अस्थायी होंगे जो योजना की अवधि तक के लिए होंगे।

(2)अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से/आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही भरा जायेगा। सेवा प्रदाता का चयन ई-टेण्टरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(3)अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पदों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्त र्गत पी0एम0यू0 के गठन में भरा जायेगा। योजना के पूर्ण/समाप्त होने के उपरान्त अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे अर्थात जिन-जिन जनपदों में योजना पूर्ण/ समाप्त होती जायेगी उस जनपद के पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। किसी भी दशा में कार्य समाप्ति / पूर्ण होने के उपरान्त कर्मियों को किसी अन्य योजना में समायोजित/ समाहित/ स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)पदों पर आने वाले व्यय भार को योजना की कन्टीजेन्सी के मद से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(5)सृजित किये जा रहे पदों की शैक्षिक योग्यता व अनय अहर्ताओं आदि की पूर्ति/पुष्टि सुनिश्चित करते हुए भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसका दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(6)प्रशासनिक विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पी0एम0यू0 के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

3- उपर्युक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन के संबंध में प्रदेश स्तर पर 09 पद, जनपद स्तर पर 04 पद तथा विकास खण्ड स्तर पर न्यूनतम 03 पद से अधिकतम 33 पदों को अस्थायी रूप से सृजित करते हुए सेवा प्रदाता के माध्यम से/ आउटसोर्सिंग /प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायेगें। इन पदों पर आने वाले व्यय भार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना की कन्टीजेन्सी से वहन किया जायेगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28/2017/(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।